


अज अदालत.....बायतु..... मुकाम.....

.....शानाराम बनाम पुनाराम बगरा.....

किस्म मुकदमा रा. क्र. 111, 128 RLRACT नं. 38/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/01/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेनाराम जाधव</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLRACT</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/02/19</u> को पेश हो।</p>	
25/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली भी प्राप्त। भीमान पीठवाली अधिकारी डिग्नर वार्ड के कक्ष होने से मिशाल इलतवा योडर आगामी दिनांक 03/04/19 को पेश हो।</p>	
03/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी का कक्ष तामिल शुद्ध उपस्थित। तामिल समग्र तीन बार आवाज कराई गई तामिल का वज्र 5.45 PM पर कराई गई विप्रार्थी/वादी स्वयं या उनकी कर से कोई अधिक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनसे किल्ल एडलतमू का प्रार्थी कमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिक्ता से उपस्थित कक्ष तामिल गई, प्रार्थी के अधिक्ता से बतारा ही प्रार्थी</p>	

की अपने धारणाएँ रखेंगे कि चारों ओर पन्ने
नेपाल स्थापित करना आवश्यक है इसलिए पार्टी
का नेपमवनी आर्केन स्वीकार किया जाकर
नेपमवनी आर्केन किया जावे।

अतः पार्टी का नेपमवनी आर्केन
स्वीकार किया जाकर तदनुसार व्यापक ही इच्छित
निष्पत्त किया जाना है व फास्टा किया जाना
है कि साथ स्वयं का अपने अधिनस्थ किया भी
सू. अधिलेख निरिस्तु है पार्टी के धारणाएँ रखेंगे
की परन्तु नेपमवनी आर्केन पर मुन्ड नमाउताउर
है, पापना रिपोर्ट प्राप्त होने पर कागसि पञ्जावली
है, पञ्जावली फेमल मुन्ड ही इज नाम्ब है
हम ही, दाखिल दफ्तर है।

03.4.2019

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:- 3/4/19

कमांक/वाद/2019/ 31

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. थानाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट
निवासी जालिपा
तहसील व जिला बाड़मेर


1. चुनाराम पुत्र मकाराम वगैरा
निवासी अकदड़ा
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 38/19

आदेश

मौजा थाकणों की ढाणी पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 171/81 रकबा क्रं. 25.11 बीघा व मौजा लाधोणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर क्रं. 876/720, 853/720 रकबा क्रं. 52.00, 21.03 की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा/बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2019/ 32 + 36

दिनांक:- 3/4/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री थानाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री चुनाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु।


उपखण्ड अधिकारी बायतु